

संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा मप्र के वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन 2018-19 में हुआ खुलासा करों के 1122 करोड़ रुपये नहीं वसूल पाए निकाय

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होने के लिए सिर्फ कोरोना ही नहीं नगरीय निकाय भी बराबर के जिम्मेदार हैं। हालात यह हैं कि निकाय संपत्ति-समेकित कर, नगरीय विकास-शिक्षा उपकर सहित अन्य करों की 1122 करोड़ रुपये से अधिक बकाया राशि नहीं वसूल पाए हैं। इसका खुलासा संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्य प्रदेश के वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन 2018-19 में हुआ है। प्रतिवेदन शुक्रवार को विधानसभा पटल पर रखा गया है। इसमें वर्ष 2010 से 2018 का आकलन किया गया है।

प्रतिवेदन के अनुसार प्रदेश के निकायों में विभिन्न करों के 11 अरब, 22 करोड़, 21 लाख 81 हजार 784 रुपये की वसूली बाकी है। करों की वसूली के मामले में सागर नगर निगम की स्थिति सबसे खराब है। नगर निगम सागर, नगर पालिका परिषद बेगमगंज, भिंड, डबरा, मैहर, नगर परिषद बानमोर, सांवेर, झुंडपुरा, अकोड़ा, शहपुरा, सरवनिया महाराज, बड़ागांव 20 प्रतिशत से भी कम संपत्तिकर वसूल पाए हैं। नगर निगम सागर और मुरैना, नगर पालिका भिंड, वैरसिया, पिपरिया, मैहर, नगर परिषद आंतरी, बिलीआ, बानमोर, झुंडपुरा,

कहां-कितने कर की वसूली शेष

कर/उपकर	नगर निगम	नगर पालिका	नगर परिषद
संपत्ति	9519459520	253047945	139702772
समेकित	127044856	251798666	61666160
नगरीय विकास	159415229	47119735	11071918
शिक्षा	191827657	42234536	8884609
विशेष	377630561	18338205	12939415



अकोड़ा एवं नरवर 10 प्रतिशत से भी कम समेकित कर की वसूली कर पाए हैं। नगर परिषद बिलीआ, अकोड़ा और चाचीड़ा 10 प्रतिशत से भी कम नगरीय विकास उपकर वसूल पाए हैं।

27.76 करोड़ रुपये की किराया वसूली नहीं हुई

निकाय स्थावर संपत्ति (किराए पर दी गई संपत्ति) से 27 करोड़ 76 लाख 61 हजार 577 रुपये का किराया नहीं वसूल पाए हैं। इसमें 20 प्रतिशत से कम

वसूली करने वाले निकायों में सागर नगर निगम भी शामिल है।

22.53 करोड़ का गलत भुगतान कर दिया

दस्तावेजों के परीक्षण से यह भी पता चला कि छह नगर निगम, 25 नगर पालिका और 44 नगर परिषदों में 22 करोड़ 53 लाख 43 हजार 53 रुपये का गलत (अनियमित) भुगतान हुआ है। वहीं दो करोड़ 68 लाख नौ हजार 899 रुपये का अधिक और दो लाख 24 हजार 132 रुपये का दोहरा भुगतान कर दिया गया है। 60 लाख 11 हजार 523 रुपये का गबन भी हुआ है। इतना ही नहीं, स्वयंसेवक समारोह, मनोरंजन एवं प्रदर्शनियों पर तय सीमा से एक करोड़ दो लाख 73 हजार 614 रुपये अधिक खर्च कर दिए गए।

597 करोड़ जल दर की वसूली बाकी

जल दर की वसूली में भी निकाय फिसड़ियों का बखीर है। ये 597 करोड़ 14 लाख 87 हजार 130 रुपये उपभोक्ताओं से वसूल नहीं कर पाए हैं। इनमें नगर निगम इंदौर, मुरैना, जबलपुर और उज्जैन सहित नौ नगर पालिका और नौ नगर परिषद शामिल हैं, जिनमें वसूली 20 प्रतिशत से भी कम हुई है।

विलंब शुल्क नहीं वसूलने से 65.96 करोड़ का नुकसान

सरकार को विभिन्न सुविधाओं के बदलने मिलने वाली राशि पर अधिभार या विलंब शुल्क नहीं वसूल पाने के कारण 65 करोड़ 96 लाख 37 हजार 263 रुपये का नुकसान हुआ है। इस राशि से निकाय आयकर, सेवाकर, बिजली-टेलीफोन बिलों को भुगतान करते हैं, जो वसूली न होने के कारण समय पर नहीं हो पाते। जिस पर पैनाल्टी लगती है।

नलजल योजना के काम ठीक से नहीं करने पर ठेकेदार काली सूची में

रतलाम, नप्र। सेमलिया और अमलेटा में जल जीवन मिशन का काम नहीं होने पर ठेकेदार को काली सूची में डाला।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर प्राची कंस्ट्रक्शन रतलाम को एक साल की अधि के लिए काली सूची में डाला गया है, इस अवधि में यह ठेकेदार नई निविदा पर काम नहीं कर सकेगा।

कहा गया कि आदेश जारी नहीं होने तक अनुबंधनकर्ता या उसके फर्म का सदस्य किसी अन्य फर्म में भागीदार होगा तो वह फर्म भी निविदा प्रक्रिया में भाग

लेने, अनुबंध करने तथा पंजीयन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

लोक अदालत के लिए 36 खण्डपीठ नेशनल लोक अदालत 12 मार्च को लगेगी। लोक अदालत के लिए छत्तीस खंडपीठों का गठन किया है। जानकारी के मुताबिक जिसमें प्रधान न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश तथा अधिवक्ता शामिल किए हैं। लोक अदालत रतलाम जिला न्यायालय के अलावा जावरा, सेलाना और अल्लोट तहसील में सुबह 10.30 बजे से होगी।

छात्रावास सुप्रिडेंट सस्पेंड

रतलाम, नप्र। उत्कृष्ट कन्या छात्रावास बाजना की अधीक्षिका डॉ. कटोरा की कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। वे निरीक्षण दौरान बिना अनुमति के गैर हाजिर पाई गई थी। निरीक्षण दौरान पाया गया कि अधीक्षिका रतलाम में रहती हैं और छात्रावास में कभी-कभी ही आती हैं। उनकी गैर हाजरी से छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा अनुशासन भी कायम नहीं रहता है।

कलेक्टर ने कहा कि अधीक्षिका ने अपने कर्तव्यपालन में धोर लापरवाही करने से इसका दुष्प्रभाव छात्राओं पर हुआ। इस वजह से अधीक्षिका को निलंबित कर उनका मुख्यालय शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवगढ़ रखा है।

व्यवस्था के लिए बन रही समिति

शिवमहापुराण : एक लाख स्केयर फीट का होगा पांडाल



रतलाम, शहर के करीब कनेरी रोड, ग्राम मधुरी हरथली फंटा त्रिवेणी धाम पर आगामी 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिवमहापुराण का रसपान कराया जाएगा। इसके लिए 1 लाख स्क्वेयर फीट का पांडाल बनाया जाएगा। इसमें एक बार में करीब डेढ़ लाख भक्त बैठकर कथा का रसपान कर पाएंगे। तैयारियों को लेकर बैठक शुक्रवार शाम को हुई है।

कथा के मुख्य आयोजक रविंद्र पाटीदार ने बताया बैठक में युवा, महिलाओं की समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। इस समिति के अलावा 101 सदस्यों की संचालन

समिति बनाई गई है। यह समिति युवाओं व महिलाओं की समिति मिलकर ही पूरा आयोजन करवाएगी। कथा स्थल से करीब 500 मीटर दूरी पर चारों तरफ चाय, नाश्ता व भोजन की व्यवस्था रहेगी।

समाजसेवियों ने अपनी तरफ से विभिन्न प्रकार की मदद का एलान किया है। नामी कंपनियों के संचालक भी बैठक में पहुंचे व उनके द्वारा बताया गया कि वे दूध सहित अन्य सामग्री निर्माण लागत पर भक्तों को उपलब्ध करवाएंगे। अमित रायकवार ने बताया कि समिति की बैठक लगातार होती रहेगी व जैसे-जैसे कथा में भक्त बढ़ते जाएंगे, तब पांडाल को भी बढ़ाया जाएगा।

पांडाल 12/3/22

नगरीय निकाय नहीं वसूल सके 1,122 करोड़ रुपए का टैक्स

जल दर के 597 करोड़ रुपए भी अटके, 4 नगर पालिका निगमों ने खर्च किए वास्तविक आय से 115 करोड़ ज्यादा

पीपुल्स ब्यूरो • भोपाल

मो.नं. 9425078939

प्रदेश के 16 नगर निगम सहित नगर पालिका और नगर पंचायतों में संपत्ति कर, समेकित कर, नगरीय विकास उपकर, शिक्षा उपकर सहित अन्य टैक्स की वसूली में लापरवाही बरती जा रही है। इन सभी करों में 1,122 करोड़ 21 लाख से अधिक राशि वसूली नहीं गई है। जल कर का भी उपभोक्ताओं से 597 करोड़ 14 लाख रुपए नहीं वसूले गए हैं। नगरपालिक निगम मुरैना, कटनी, उज्जैन तथा रतलाम ने तो करीब 115 करोड़ रुपए आय से अधिक खर्च कर दिए हैं। यह खुलासा



स्थानीय निधि संपरीक्षा रिपोर्ट में हुआ है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने शुरुवार को संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा का वर्ष 2018-19 का प्रतिवेदन विधानसभा में पेश किया। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रदेश के 14 नगर निगम, 51 नगर पालिकाओं तथा 77 नगर परिषदों ने संचित निधि

कितना टैक्स बकाया

टैक्स	राशि करोड़ में
संपत्ति कर	991.22
समेकित कर	44.05
विकास उपकर	21.76
शिक्षा उपकर	24.29
विधिव कर	40.89
जल कर	597.14

का 5 प्रतिशत राशि यानी 54.16 करोड़ रुपए खजाने में जमा ही नहीं किया, जबकि 90 निकायों ने कम राशि जमा की है। इसके अलावा नगरपालिक निगम मुरैना ने वास्तविक आय 1,466 करोड़ के एवज में 2,069 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि आय से 60 करोड़ 29 लाख

22.53 करोड़ रुपए का

अनियमित भुगतान

निकाय	राशि लाख में
नगरपालिक निगम	741.69
नगरपालिका परिषद	839.04
नगर परिषद	672.68
अधिक भुगतान	268.09

रुपए ज्यादा खर्च किए हैं। नगर पालिक निगम कटनी ने वास्तविक आय 83 करोड़ 45 लाख 46 हजार 700 रुपए के बदले 91 करोड़ 42 लाख 50 हजार 600 रुपए खर्च किए, जो कि 7.97 करोड़ ज्यादा है। नगरपालिक निगम उज्जैन ने वास्तविक आय 799.58 करोड़ के

एवज में 871.62 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि 72 करोड़ से ज्यादा है। इसी तरह नगरपालिक निगम रतलाम ने वास्तविक आय 116 करोड़ 3 लाख के बदले 121 करोड़ 98 लाख यानी 5 करोड़ 95 लाख रुपए ज्यादा व्यय किए हैं।

निकायों में 60 लाख का गबन

प्रदेश के नगरनिगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों में 60 लाख 11 लाख रुपए का गबन किया गया है, जिसमें से गबन करने वालों ने 11.91 लाख रुपए ही जमा कराए हैं और 48.19 लाख रुपए अभी भी अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने जमा नहीं किया है।

पीपुल्स 12/3/22

टेक्सटाइल पार्क मंजूरी का अब तक इंतजार

शहर की बंद चिमनियों से धुआं निकले तो माने विकास

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम, मध्यप्रदेश के वर्ष 2022-2023 के बजट से रतलाम को कई उम्मीद थी। लंबे समय से औद्योगिक विकास का इंतजार कर रहे इस जिले में टेक्सटाइल पार्क, लाजिस्टिक हब, 8 लेन आदि पर काम चल रहा है, लेकिन अब तक इसके लिए सकारात्मक सूचना नहीं आई है। दो वर्ष से दावे तो कई किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर हाथ खाली ही है।

बजट को लेकर कई उम्मीद जिले को थी, यह माना जा रहा था कि इस बार बजट में निवेश को बढ़ावा देने वाली योजना, अवैध कॉलोनी को वैध करने के लिए राशि सहित शहर की रोड को बेहतर करने के लिए पर्याप्त धन मिलेगा। उज्जैन



संभाग की प्रमुख औद्योगिक नगरी रतलाम को प्रदेश के आगामी बजट से विकास की उम्मीद बंधी थी, शहर सहित जिले में कई स्तरों पर नए निवेश की संभावनाएं बनी हुई हैं। विशेषकर 8-लेन दिल्ली - मुंबई एक्सप्रेस-वे के बाद कई निवेशकर्ताओं के आने का दावा किया जा रहा है। शहर में औद्योगिक

निवेश तेज गति से हो, इसके लिए नीति का इंतजार है।

भूमि अधिग्रहण का इंतजार

लाजिस्टिक हब के लिए स्थान तो तय कर लिया गया है, लेकिन अब तक भूमि अधिग्रहण की कमी के चलते योजना के साकार होने में

देरी हो रही है। इन सब के पूरे होने से औद्योगिक निवेश की संभावना की गति मिलेगी। इसके अलावा टेक्सटाइल पार्क की बात तो की गई, लेकिन फाइल दिल्ली में आगे नहीं बढ़ रही है। इसके अलावा हवाई सेवा के दावे किए गए, लेकिन इसको लेकर जमीनी धरातल पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा है।

8 लेन देगा तेजी से गति

तीन राज्यों को जोड़ने वाला 8 लेन का काम जिले में तेजी से चल रहा है। इसको लेकर हाल ही में केंद्रीय मंत्री नीतिन गड़करी ने ट्वीट भी किया है। जिले के आलोट, शिवगढ़ जैसे क्षेत्र में फिलहाल काम चल रहा है। जिले के इन क्षेत्रों का 8

लेन का काम पूरा होने के बाद नए निवेश की संभावनाएं तेज गति से पूरी होंगी। दिल्ली-मुंबई 8 लेन को नवंबर में पूरा होना है। करीब 244 किमी का हिस्सा 9 हजार करोड़ रुपये से बन रहा है। इसके पूरे होने के बाद भी निवेश तेज होगा। जायरा के रास्ते मंदसौर जाने का टोल गेट भी यहीं बन रहा है।

सभी का विकास हो यह ध्यान

मध्यप्रदेश के बजट में शहर के पूरे विकास की योजना शामिल की गई है, इसके लिए पूर्व में प्रयास किए गए हैं।

- चैतन्य काश्यप, शहर विधायक

पत्रिका 12/3/22

नल-जल योजना सेमलिया में कार्य प्रगति नहीं होने पर ठेकेदार काली सूची में डाला गया

रतलाम। जल जीवन मिशन के तहत ग्राम सेमलिया तथा अमलेटा में क्रियान्वित की जा रही नल जल योजना में कार्य अपेक्षित रूप से समय सीमा में नहीं करने तथा कार्य प्रगति नहीं होने पर संबंधित ठेकेदार को काली सूची में डाला गया है। ज्ञातव्य है कि कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा विगत निरंतर समीक्षाओं के दौरान उपरोक्त जल जीवन मिशन योजनाओं की प्रगति अपेक्षित नहीं जाने पर ठेकेदार को काली सूची में डाले जाने के लिए निर्देशित किया गया था।

बताया गया है कि कलेक्टर के निर्देश पर कार्यपालन यंत्री रतलाम तथा अधीक्षण यंत्री उज्जैन की अनुशंसा के आधार पर प्राची कंस्ट्रक्शन रतलाम को एक वर्ष की अवधि के लिए काली सूची में दर्ज किया गया है। आदेश जारी होने के तत्काल पश्चात प्राची कंस्ट्रक्शन नागरवास रतलाम नए निविदा प्रपत्र क्रय करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगे। साथ ही यदि पूर्व में निविदा प्रपत्र कराए कर लिया है तो इस आदेश के पश्चात वह निविदा भरने के लिए अपात्र रहेगे। इनके द्वारा पूर्व में भरी गई निविदा इस आदेश के पश्चात यदि स्वीकृत होती है तो वह विधि शून्य होगी। अनुबंधकर्ता या उसके फर्म का कोई सदस्य किसी अन्य फर्म में भागीदार होगा तो वह फर्म भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने, निविदा प्रपत्र करने तथा नया अनुबंध करने के लिए एवं पंजीयन करवाने के लिए इस आदेश के पश्चात पात्र नहीं होंगे।

नाहरपुरा में सागर डिस्पोजल को किया सील

सिंधम रिपोर्टर □ रतलाम

नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झण्डे, कैडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, ग्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, टेज स्वीट बाक्स, निर्माण पत्र, सिगरेट पैकेट को कवर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिरर्स व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनर) के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

- 10 किलो अमानक पॉलीथीन
व डिस्पोजल जल
- 100 माईक्रोन से कम मोटाई
की पॉलीथीन व सिंगल यूज
प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टिक (पॉलीथीन) निर्माता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रोन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एवं ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

सिंधम - 11/3/22

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को

प्रसारण न्यूज * रतलाम

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन देश/प्रदेश के साथ जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में भी किया जावेगा।

जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में शमनीय प्रकृति के आपराधिक प्रकरण, सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, चेक अनादरन प्रकरण, भरण पोषण एवं वैवाहिक वेवादों से संबंधित शमनीय प्रकरण, विद्युत चोरी के प्रकरण तथा संपत्तिकर, जलकर, एवं बैंक व अन्य विभागों के बकायों राशि के वसूली प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जावेगा। जिनमें विभिन्न विभागों द्वारा शासन के दिशा निर्देशानुसार वसूली राशि में छूट भी प्रदान की जावेगी।

नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य कुल 4748 प्रकरण तथा बैंक

फायनेंस कंपनियों, बी.एस.एन.एल, विद्युत आदि विभागों के कुल 11891 प्रीलिटिगेशन प्रकरण रखे जावेगे जिसमें राशि जमा करने वाले पक्षकारों को शासन द्वारा जारी विशेष छूट भी प्रदान की जावेगी। उक्त नेशनल लोक अदालत में थानों में निर्मित मोटर वाहन अधिनियम में प्रकरणों का भी निराकरण किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय रतलाम में 18, जावरा-09, आलोट-05 एवं सैलाना-03 खंडपीठ गठित की गई है। इस प्रकार संपूर्ण रतलाम जिले में कुल 35 खंडपीठों का गठन किया गया है।

राज्य प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार रतलाम न्यायालय में 10 तथा तहसील न्यायालयों जावरा, सैलाना, आलोट में 01-01 विधि छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान कर आवश्यक कार्य करने हेतु इयूटी लगाई गई है। अतः समस्त पक्षकार सीधे न्यायालयों में या अपने अधिवक्तागणों के माध्यम से न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर अपने प्रकरणों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी समझौते से प्रकरणों का निराकरण करकर शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट का लाभ उठावे।

समस्या का समाधान 7 दिन में करें, नहीं तो चक्काजाम

भास्कर संवाददाता | रतलाम

सुभाषनगर ओवरब्रिज का काम तीन साल से चल रहा है, लेकिन कार्य के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है और बिजली लाइन अब तक शिफ्ट नहीं हुई है। इस मामले में रतलाम शहर कांग्रेस सेवादल यंग विंग ने समस्याओं के निदान की मांग जिला प्रशासन से की है। शहर अध्यक्ष धर्मेन्द्र शर्मा ने बताया कि एक भू स्वामी को अब तक मुआवजा भी नहीं मिला। वहीं बिजली विभाग को लाइन शिफ्टिंग के लिए 2.50 करोड़ रुपए अब तक नहीं दिए। यदि समस्याओं का निदान सात दिन में नहीं किया जाता है तो सुभाषनगर में रोड पर चक्काजाम के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

यसरा 12/3/22

शिविरों से लाभान्वित हो चुकी बड़ी स्वास्थ्य समस्या हाता ६

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को

रतलाम (तेज एक्सप्रेस)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नलसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन देश/प्रदेश के साथ जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में भी किया जावेगा।

जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अरूण श्रीवास्तव ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में शमनीय प्रकृति के आपराधिक प्रकरण, सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, चेक अनादरण प्रकरण, भरण पोषण एवं वैवाहिक विवादों से संबंधित शमनीय प्रकरण, विद्युत चोरी के प्रकरण तथा संपत्तिकर, जलकर, एवं बैंक व अन्य विभागों के बकाया राशि के

वसूली प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण किये जावेगा। जिनमें विभिन्न विभागों द्वारा शासन के दिशा निर्देशानुसार वसूली राशि में छूट भी प्रदान की जावेगी। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य कुल 4748 प्रकरण तथा बैंक फायनेंस कंपनियों, बी.एस.एन.एल, विद्युत आदि विभागों के कुल 11891 प्रीलिटिगेशन प्रकरण रखे जावेंगे जिसमें राशि जमा कराने वाले पक्षकारों को शासन द्वारा जारी विशेष छूट भी प्रदान की जावेगी। उक्त नेशनल लोक अदालत में थानों में निर्मित मोटर वाहन अधिनियम में प्रकरणों का भी निराकरण किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय रतलाम में 18, जावरा-09, आलोट-05 एवं सैलाना-03 खंडपीठ गठित की गई है।

तेज एक्सप्रेस 12-3-22

तेज एक्सप्रेस 12/3/22

फिर याद आए सिग्नल..

रतलाम, नम्र। शहर में दो-तीन जगह यातायात सिग्नल लगाए गए थे। देखरेख के अभाव में हालात ऐसी बिगड़ी कि दो चौराहों से पूरी तरह नदारत हो गए। दोबत्ती पर लगे हैं, उसकी हालात भी खराब है।

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सांसद गुमानसिंह झमोर को समिति सदस्यों ने सिग्नलों की याद दिलाते हुए उनकी हालात सुधारवाने तथा दूसरी अन्य जगहों पर भी यातायात सिग्नल लगाने की जरूरत बताई। सड़कों तथा हाई पर सांसद ने ब्लैक स्पॉट की चर्चा करते हुए लोक निर्माण विभाग, एनएचआई से कहा कि सधन सर्वे कर ब्लैक स्पॉट की पहचान कर समस्या को दूर करें ताकि दुर्घटना से लोगों का जीवन सुरक्षित रहे।

बाजार में निकलने में आती है परेशानी

बैठक में सदस्यों ने बताया कि बाजार की सड़कों पर तो ठीक से निकलना भी नहीं जा सकता है। माणक चौक और दीनदयाल नगर थाना क्षेत्रों में विशेष तौर पर दुकानों के बाहर कब्जे की शिकायत की गई। कहा गया कि दुकानदारों ने आगे बढ़कर पार्किंग क्षेत्र में सामान फैलाया जाता है वहीं दुपहिया और चार पहिया वाहनों को दुकानों के सामने खड़ा करते हैं जिससे आवागमन में तो परेशानी होती है बार-बार जाम जैसे हालात भी बनते हैं। सड़क किनारे सब्जी बेचने वालों से होने वाली परेशानी को बताते हुए कहा कि सब्जी मार्केट के लिए अलग से जगहों का चयन कर सब्जी मार्केट के रूप में विकसित किया जाना उचित होगा। इसके अलावा यातायात संकेतक बोर्ड की कमी बताए जाने के साथ मुख्य सड़कों पर स्थायी डिवाइडर की जरूरत को बताया। भारी वाहनों के प्रवेश का समय तय करने, लोडिंग अनलोडिंग की जगह तय करने, नो व्हीकल जोन तथा वनवे पर भी चर्चा की।

कलेक्टर ने कारोबारियों के साथ बैठक कर कहा

स्वच्छता सर्वेक्षण: 31 मार्च तक बंद रखें डिस्पोजल दुकानें



रतलाम. स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर एक पर आने कलेक्टर व नगर निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम ने शुक्रवार को डिस्पोजल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें कहा गया कि दुकानों को 31 मार्च तक बंद रखें, जब दुकान बंद रहेगी तो अमानक स्तर के डिस्पोजल की बिक्री नहीं होगी, इससे शहर स्वच्छ रहेगा। इस दौरान निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर कुमार ने मंचेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से कहा कि 100 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजल से सबसे अधिक

कचरा व गंदगी होती है जिससे शहर गन्दा दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि आप सभी की सहभागिता से ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में शहर को स्वच्छता में नंबर-1 बनाया जा सकता है। इस हेतु वे 100 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजल निर्माण, उपयोग व विरय ना करें। आयोजित बैठक में कार्यपालन यंत्री एससी व्यास, जीके जायसवाल, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, व्यापारी एसोसिएशन पदाधिकारी, पॉलीथीन व डिस्पोजल विक्रेता संजय पारख, राहुल पोखरना, ताराचन्द प्रीतवानी, अर्पित अग्रवाल, तरुण मुन्हा आदि उपस्थित थे।

12-3-22

4/8/21

पाइका 12/3/22

मेला प्रदर्शनी लगी, पुरस्कार बांटे



रतलाम | जिला शिक्षा केंद्र परिसर में शुक्रवार को टीएलएम प्रदर्शनी लगी। जन शिक्षा केंद्र वाइस लगी प्रदर्शनी में ब्लाक के शिक्षक शामिल हुए। इसमें विजेताओं को पुरस्कार बांटे गए। आयुक्त सोमनाथ झारिया, सहायक संचालक लक्ष्मणसिंह देवड़ा, डीपीसी एमएल सांसरी, बीआरसी मुकेश राठोड़, योगेश सरवाइ मौजूद थे। 12-3-22

12-3-22

स्वच्छ सर्वेक्षण: सिंगल यूज प्लास्टिक और डिस्पोजेबल आइटम प्रतिबंधित

भास्कर संवाददाता | रतलाम

शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में नंबर वन पर लाने के लिए व्यापारियों की सहभागिता के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम एवं नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने शुक्रवार को व्यापारियों की बैठक ली। स्वच्छ सर्वेक्षण को देखते हुए पॉलीथीन व डिस्पोजेबल विक्रेताओं को अपनी दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर एवं निगम प्रशासक ने मंचेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से कहा कि

100 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजेबल सामग्री से सबसे अधिक कचरा व गंदगी होती है। इससे शहर में गंदगी दिखाई देती है। आप सभी की सहभागिता से ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में शहर स्वच्छता में नंबर-1 बनाया जा सकता है। इसलिए वे 100 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजेबल निर्माण, उपयोग व विक्रय ना करें। आयुक्त ने कहा कि नागरिकों को पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजेबल उपयोग की आदत को बदलना होगा। 12-3-22

5-8

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई

रतलाम (तेज 12-3-22)। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सांसद श्री गुमानसिंह डामोर की अध्यक्षता में 10 मार्च को संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत प्रधान श्री परमेश मईडा, श्री राजेंद्रसिंह लुनेरा, श्री श्याम सुंदर शर्मा, कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम, एसपी श्री अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, श्रीमती संगीता चारेल, पूर्व महापौर श्री शैलेंद्र डागा, श्री प्रदीप चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी, सीएसपी श्री हेमंत चौहान आदि उपस्थित थे। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा एजेंडे पर जानकारी दी गई।

बैठक में सड़कों तथा हाईवे पर ब्लैक स्पॉट की चर्चा करते हुए सांसद श्री गुमानसिंह डामोर द्वारा लोक निर्माण विभाग, एनएचआई को निर्देशित

किया गया कि सघन सर्वे करते हुए ब्लैक स्पॉट चिन्हित करके निराकरण किया जाए ताकि दुर्घटना से जीवन सुरक्षित रहे। बैठक में बताया गया कि शहर में यातायात सिग्नल दो बत्ती तथा सैलाना बस स्टैंड पर हैं किंतु वर्तमान में खराब हैं। दोनों को सुधारने की आवश्यकता है एवं अन्य व्यस्त ही स्थानों पर सिग्नल लगाए जाने की भी आवश्यकता बताई गई। शहर में थाना माणकचौक, दीनदयाल नगर क्षेत्रों में विशेष तौर पर अतिक्रमण किया जाकर दुकानदारों द्वारा आगे बढ़कर पार्किंग क्षेत्र में सामान फैलाया गया है तथा दुकानदारों द्वारा अपने दोपहिया, चार पहिया वाहनों को स्थाई रूप से दुकानों के सामने पार्किंग क्षेत्र में लगाया गया है, इससे आवागमन में परेशानी है तथा जाम की स्थिति बनती है।

शहर में लोगों द्वारा सब्जियों का विक्रय रोड किनारे बैठकर

किया जा रहा है जिससे आवाजाही में परेशानी होती है। सब्जी मार्केट के लिए पृथक से स्थलों का चयन कर सब्जी मार्केट के रूप में विकसित किया जाना उचित होगा। इसके अलावा यातायात संकेतक बोर्ड की कमी बताई गई। संकेतक बोर्ड लग जाने से लोगों को शहर में स्थानों को खोजने में सुविधा होगी, यातायात कम बाधित होगा।

शहर के मुख्य चौराहों पर हाईमास्ट लाइट लगाई जाएगी। मुख्य सड़कों पर स्थाई डिवाइडर की आवश्यकता बताई गई।

शहर में भारी वाहनों के प्रवेश का समय निर्धारित करना, वाहन के लोडिंग अनलोडिंग स्थान तय करने, नो व्हीकल जोन तथा वन-वे आदि पर चर्चा की गई। सांसद श्री डामोर ने निर्देश दिए कि आगामी बैठक में विस्तृत रूप से बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।

तेज एक्सप्रेस 12/3/22

बाजार में जाम लगने पर शोर के पैमाने पर टूटते नियम

शोर से कैसे मिले निजात: सबसे अधिक शोर रेलवे प्लेटफॉर्म व निगम के कचरा वाहन से



पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम, सबसे अधिक शोर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म व दूसरे नंबर पर नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहन द्वारा माइक से किया जा रहा है। यह खुलासा पत्रिका द्वारा गुरुवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक साउंड मीटर से मापे गए शोर से हुआ है। बड़ी बात यह है कि तय पैमाने से अधिक होने वाले इस शोर को खुद सरकारी विभाग ही कर रहा है, इसको रोकने वाले ही विभाग ही इस मामले पर संजीदा नहीं हैं।

शहर में शोर को कम करने के

पहले जाने शोर के डेसिबल में पैमाने को

क्षेत्र	सुबह 6 से रात 10	रात 10 से सुबह 6
औद्योगिक क्षेत्र	75	70
वाणिज्य क्षेत्र	65	55
आवासीय क्षेत्र	55	45
शांत क्षेत्र	50	40

यह हो रहा है असल में

औद्योगिक क्षेत्र	60 से 65 डेसिबल
रेलवे स्टेशन वाणिज्य क्षेत्र	85 से 88 डेसिबल तक
निगम कचरा संग्रहण	75 से 80 डेसिबल
शांत क्षेत्र अस्पताल	56 से 58.2 डेसिबल



लिए कोई प्रयास अब तक नहीं किए गए हैं। कहने को भले अधिक शोर करने पर रोक हो, लेकिन हकीकत यह है कि इसको न तो साउंड मीटर से मापा जा रहा है, नहीं इसको कम करने के कोई प्रयास हो रहे हैं। शहर

में प्रतिदिन सबसे अधिक निरंतर शोर रेलवे स्टेशन पर होता है। यहां के अलावा शहर के विभिन्न मोहल्लों में शोर लगातार जारी है।

ध्वनी प्रदूषण अधिनियम में संशोधन 2010 के अनुसार वाणिज्य

क्षेत्र वो है भीड़ अधिक हो, शांत क्षेत्र वो है जहां अस्पताल, कोर्ट, कलेक्टर कार्यालय आदि हो। जबकि जहां लोग कॉलोनी में रहते हैं, उसको आवासीय क्षेत्र माना गया है।

हम प्रयास कर रहे हैं

हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शहर में शोर कम हो, इसके लिए साउंड मीटर का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है।

- डॉ. इंद्रजीत बाकरवाल,
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

कम करवाएंगे गाड़ी का शोर

कचरा संग्रहण वाहन से होने वाले माइक के प्रचार का उद्देश्य आमजन को वाहन आने की सूचना देना है। अगर इससे परेशानी है तो वाहन के माइक का शोर कम करवाया जाएगा। - सोमनाथ झारिया, आयुक्त, नगर निगम

पत्रिका 12/3/22

प्राची कन्स्ट्रक्शन नागरवास पर एक वर्ष के लिए लगाए प्रतिबंध

फटकार के बाद भी नहीं सुधरे नलजल योजना के ठेकेदार को किया ब्लैक लिस्टेड

● रतलाम

जल जीवन मिशन के तहत ग्राम सेमलिया तथा अमलेटा में क्रियान्वित की जा रही नल जल योजना में कार्य अपेक्षित रूप से समय सीमा में नहीं करने तथा कार्य प्रगति नहीं होने पर संबंधित ठेकेदार को काली सूची में डाला गया है। ज्ञातव्य है कि कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा विगत निरंतर समीक्षाओं के दौरान उपरोक्त जल जीवन मिशन योजनाओं की प्रगति अपेक्षित नहीं जाने पर ठेकेदार को काली सूची में डाले जाने के लिए निर्देशित किया गया था।

बताया गया है कि कलेक्टर के निर्देश पर कार्यपालन यंत्री रतलाम तथा अधीक्षण यंत्री ऊजैन की अनुशंसा के आधार पर प्राची

कन्स्ट्रक्शन रतलाम को एक वर्ष की अवधि के लिए काली सूची में दर्ज किया गया है। आदेश जारी होने के तत्काल पश्चात प्राची कन्स्ट्रक्शन नागरवास रतलाम नए निविदा प्रपत्र क्रय करने के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही यदि पूर्व में निविदा प्रपत्र कराए कर लिया है तो इस आदेश के पश्चात वह निविदा भरने के लिए अपात्र रहेंगे। इनके द्वारा पूर्व में भरी गई निविदा इस आदेश के पश्चात यदि स्वीकृत होती है तो वह विधि शून्य होगी। अनुबंधकर्ता या उसके फर्म का कोई सदस्य किसी अन्य फर्म में भागीदार होगा तो वह फर्म भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने, निविदा प्रपत्र करने तथा नया अनुबंध करने के लिए एवं पंजीयन करवाने के लिए इस आदेश के पश्चात पात्र नहीं होंगे।

बाजना में नौकरी और रतलाम में निवास, छात्रावास अधीक्षिका को तड़ीबाजी पर किया निलंबित

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा उत्कृष्ट कन्या छात्रावास बाजना कि अधीक्षिका श्रीमती उषा कटारा को निलंबित कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार क्षेत्र संयोजक जनजाति कार्य विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण में अधीक्षिका अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाई गई। छात्रावास से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधीक्षिका रतलाम निवास करती हैं एवं छात्रावास में कभी-कभी ही आती हैं। उनकी अनुपस्थिति से छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा निर्धारित अनुशासन भी कायम नहीं रहता है। जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि शासन द्वारा छात्रावास योजना छात्राओं की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु चलाई जाती है और इसके लिए शासन द्वारा छात्रावास में अधीक्षिका की नियुक्ति इस अपेक्षा के साथ की जाती है कि वह अपने दायित्व का निर्वहन कर छात्रावास की छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि करें तथा उनका नैतिक उत्थान हो। किंतु अधीक्षिका द्वारा अपने कर्तव्यपालन में घोर लापरवाही की गई है, इसका दुष्प्रभाव छात्राओं पर हुआ। उक्त कारणों से अधीक्षिका को निलंबित कर उनका मुख्यालय शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवगढ़ रखा गया है।

अभिज्ञान 18/3/22

सांसद की अगुवाई में सड़क सुरक्षा पर हुई चर्चा

30/10/11 11-3-22
रतलाम

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सांसद

गुमानसिंह डामोर की अध्यक्षता में 10 मार्च को संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत प्रधान परमेश मईडा, राजेंद्रसिंह लुनेरा, श्याम सुंदर शर्मा, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर एम.एल.आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, श्रीमती संगीता चारेल, पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, प्रदीप चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी, सीएसपी हेमंत चौहान आदि उपस्थित थे। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा एजेंडे पर जानकारी दी गई।

ब्लैक स्पॉट चिह्नित करते हुए शहर में एवं शहर के बाहर भी सड़क सुरक्षा और सुविधाओं पर जोर दिया गया

बैठक में सड़कों तथा हाईवे पर ब्लैक स्पॉट की चर्चा करते हुए सांसद गुमानसिंह डामोर द्वारा लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई को निर्देशित किया गया कि सड़क सवें करते हुए ब्लैक स्पॉट चिह्नित करके निराकरण किया जाए ताकि दुर्घटना से जीवन सुरक्षित रहे। बैठक में बताया गया कि शहर में यातायात सिग्नल दो बत्ती तथा सैलाना बस स्टैंड पर है किंतु वर्तमान में खराब है। दोनों को सुधारने की आवश्यकता है एवं अन्य व्यस्त हो स्थानों पर सिग्नल लगाए जाने की भी आवश्यकता बताई गई। शहर में थाना माणकचौक, दीनदयाल नगर क्षेत्रों में विशेष तौर पर अतिक्रमण किया जाकर दुकानदारों द्वारा आगे बढ़कर पार्किंग क्षेत्र में सामान फैलाया गया है तथा दुकानदारों द्वारा अपने दोपहिया, चार पहिया वाहनों को स्थाई रूप से दुकानों के सामने पार्किंग

क्षेत्र में लगाया गया है, इससे आवागमन में परेशानी है तथा जाम की स्थिति बनती है। शहर में लोगों द्वारा सड़कियों का विक्रय रोड किनारे बैठकर किया जा रहा है जिससे आवाजाही में परेशानी होती है। सब्जी मार्केट के लिए पृथक से स्थलों का चयन कर सब्जी मार्केट के रूप में विकसित किया जाना उचित होगा। इसके अलावा यातायात संकेतक बोर्ड की कमी बताई गई। संकेतक बोर्ड लगाने से लोगों को शहर में स्थानों को खोजने में सुविधा होगी, यातायात कम बाधित होगा। शहर के मुख्य चौराहों पर हाईमास्ट लाइट लगाई जाएगी। मुख्य सड़कों पर स्थाई डिवाइडर की आवश्यकता बताई गई। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश का समय निर्धारित करना, वाहन के लोडिंग अनलोडिंग स्थान तय करने, नो व्हीकल जॉन तथा वन-वे आदि पर चर्चा की गई।

अभिषेक 11/3/22

गंदगी, अमानक पॉलीथीन व खुले में यूरिन उपयोग तथा विक्रय करने का 15 पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैं, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 11 मार्च शुक्रवार को 15 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार विजय, संजय प्रजापत, संतोश, बंशी, घनश्याम, भरत, अजमल, पिन्दु, सचिन, शहनाज पर 500-500, पंकज, रानू, नरेन्द्र व राकेश कुशवाह पर 100-100 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी, अतिक्रमण व अमानक पॉलीथीन का उपयोग व विक्रय ना करने की समझाईश दी। 11-3-22

16 सफाई मित्रों का 1 दिवस का वेतन काटा

रतलाम। स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक की गई। इसमें प्रातः 15 व दोपहर की शिफ्ट में 1 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित मिला। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलंबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। 11-3-22

न्यूज गैलरी

नेशनल लोक अदालत आज 35 खंडपीठों का गठन

रतलाम। देशभर के साथ ही जिला मुख्यालय स्थित जिला न्यायालय तथा जावरा, आलोट व सैलाना तहसील न्यायालय में 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है। प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला न्यायालय में 18, जावरा में नौ, आलोट में पांच व सैलाना तहसील न्यायालय में तीन खंडपीठों का गठन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व जिला न्यायाधीश अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य 4748 प्रकरण व प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के 11 हजार 891 प्रकरण रखे जाएंगे। राज्य प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार रतलाम न्यायालय में 10 तथा तहसील न्यायालयों जावरा, सैलाना, आलोट में एक-एक विधिक विद्यार्थी को प्रशिक्षण प्रदान कर आवश्यक कार्य करने के लिए ड्यूटी लगाई गई है।

नगरीय निकायों ने बधाई और अभिनंदन करने में लाखों रुपए खर्च कर पार की हद

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. नगरीय निकाय के कर्मचारियों ने नेताओं को चमकाने के लिए बधाई, अभिनंदन पर खर्च सीमा पार कर सरकारी खजाने को जमकर लुटाया। सुवासरा निकाय के अध्यक्ष ने 500 रुपए का आटा भी निकाय से पैसे से खरीदवा दिया। इसका खुलासा विधानसभा में पेश स्थानीय निधि संपरीक्षा की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि निकायों में मेला, रंगपंचमी, गणतंत्र दिवस में बधाई पर सबसे ज्यादा राशि खर्च की गई है। प्रधानमंत्री के दो वर्ष पूरे होने और उनके जन्मदिन पर भी खाचरोद नगर पालिका परिषद में बीस हजार रुपए खर्च किए हैं।

प्रदेश के करीब 18 निकायों में इस तरह से एक करोड़ दो लाख से अधिक राशि खर्च की गई है। कर्मचारियों ने लगाई चपत-निकायों के कर्मियों ने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने नीलामी राशि सहित अन्य राशि की वसूली समय पर नहीं की। इससे सरकार को 65 करोड़ से ज्यादा की क्षति हुई। संपत्तिकर और समेकित सहित अन्य करों का सही से निर्धारण नहीं किया। रिपोर्ट के अनुसार भोपाल नगर पालिका में बैंक द्वारा कैश डिपॉजिट में भारी गड़बड़ियां समाने आई हैं। कर्मचारियों ने मिलने वाली राशि को समय पर जमा नहीं किया है। सभी नगर निगमों में वसूली को लेकर सरकार को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है।

संजय नगर में अवैध गैरेज दुकानें हटाएं, रहवासी परेशान मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत

रतलाम (नई दुनिया प्रतिनिधि)। मह रोड बस स्टैंड के समीप स्थित संजय नगर में आवासीय प्लॉट पर गैरेज, सर्विस सेंटर, पेंटिंग आदि की दुकानें खुलने से रहवासी परेशान हैं। शुक्रवार को रहवासियों ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र प्रेषित कर अवैध दुकानें गैरेज हटवाने की मांग की।

कलेक्टर के माध्यम से भेजे गए पत्र में रहवासियों ने उल्लेख किया है कि अवैध दुकानों के कारण बाहरी लोगों की आवाजाही होती रहती है। गैरेज के कारण दिन भर शोर होता रहता है। मना करने पर दुकान संचालक गाली-

गलाच करते हैं। पेंटिंग की दुकानों पर स्प्रे से उड़ने वाले कलर से लोगों को सांस लेने में समस्या होने लगी है। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के 15 दिन के फुटेज चेक करने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अवैध दुकान, गैरेज को रहवासी क्षेत्र से जल्द नहीं निकाला गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। कालोनी के दोनों मार्ग पर गेट भी लगवाए जाएं। क्षेत्र के दीपेंद्रसिंह सोलंकी, दीपकसिंह सोलंकी, अशोक अग्रवाल, राजेश, सूरज, यशवीरसिंह, पुनीत विश्वकर्मा, सुरजसिंह डोडिया आदि ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

पत्रिका 12/3/22

नई दुनिया 12/3/22

कल आयोजित होगी लोक अदालत

रतलाम। म.प्र. विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा सभी तहसील एवं जिला न्यायालयों में 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

भारत संचार निगम लिमिटेड के लेखा अधिकारी भारत चंदेल ने बताया कि भारत संचार निगम लिमिटेड ने भी अपनी राजस्व की लंबित राशि से संबंधित लगभग 579 प्रकरणों को रतलाम, जावरा, सेलाना तथा आलोट न्यायालयों में प्रस्तुत किया है। संबंधित खण्डपीठ के पीठसूची अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत के लिए जिले में 36 खण्डपीठ गठित

रतलाम। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को जिला न्यायालय रतलाम, तहसील न्यायालय जावरा, सेलाना एवं आलोट में प्रातः 10.30 बजे से किया जाएगा। जिले में नेशनल लोक अदालत का कार्य सम्पादित करने हेतु 36 खण्डपीठों का गठन किया गया है। खण्डपीठ गठन में प्रधान न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश तथा अधिवक्ता शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही नगर निगम द्वारा

नगर निगम के विभिन्न करों से 16.68 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम। संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करों के तहत 10 मार्च गुरुवार को कुल राशि रुपये 16,68,211/- का राजस्व प्राप्त हुआ। नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 10 मार्च गुरुवार को संपत्तिकर कार्यालय से 785997, वसूली दल 247658 कुल 1033655, जलकर कार्यालय से 230370, दुकान गुमटी किराया कार्यालय 44768, वसूली दल 28190 कुल 72958, स्पॉट फाईन 200, लायसेंस 4500, लीजरेट 326528 इस तरह कुल राशि रुपये 16,68,211/- का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

11-3-22 दिनांक 11-3-22

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई

रतलाम। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सांसद गुमानसिंह खमोर की अध्यक्षता में 10 मार्च को संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत प्रधान परमेश मईडा, राजेंद्रसिंह लुनेरा, श्याम सुंदर शर्मा, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, श्रीमती संगीता वारेल, पूर्व महामौर शैलेंद्र डग्गा, प्रदीप चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी, सीएसपी हेमंत चौहान आदि उपस्थित थे। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा एजेंडे पर जानकारी दी गई। बैठक में सड़कों तथा हाईवे पर ब्लैक स्पॉट की चर्चा करते हुए सांसद गुमानसिंह खमोर द्वारा लोक निर्माण विभाग, एनएचआई को निर्देशित किया गया कि सघन सर्वे करते हुए ब्लैक स्पॉट चिह्नित करके निराकरण किया जाए ताकि दुर्घटना से जीवन सुरक्षित रहे।

दो दिन में दो पॉजिटिव मिले, एक्टिव केस भी दो

रतलाम। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा है। दो दिन में 2 नए संक्रमित सामने आए हैं। इसी के साथ अब जिले में कुल संक्रमित 20719 हो गए हैं। जिले में गुरुवार को मेडिकल कॉलेज की 41 साल की महिला और शुक्रवार को जावरा के कलालिया के 40 साल के पुरुष पॉजिटिव आए हैं। जिले में अभी एक्टिव केस की संख्या 2 बनी हुई है। मार्च के महीने में अब तक 4 पॉजिटिव ही सामने आए हैं।

एथलेटिक्स खिलाड़ियों का हुआ चयन

रतलाम। भोपाल में 13 मार्च को होने वाली 56वीं अंतर जिला चैम्पियनशिप के लिए खिलाड़ियों की ट्रायल लेकर चयन के आधार पर उनका सिलेक्शन किया गया। एथलेटिक्स कॉर्पोरेशन एसोसिएशन कोच मुकेश, एथलेटिक्स पलाश सोलंकी, अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स कोच व सचिव नितिन कलंकी के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों चयन किया गया। इसमें लोकेंद्र सिंह (800 मी.), पंकज (1500 मी.), नैन सिंह (800 मी.), तुफान सिंह (400 मी.) का चयन किया गया।

न्यूनतम बैलेंस नहीं रखा तो बंद होगा अकाउंट

रतलाम। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी पीपीएफ, नेशनल पेंशन स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना में अगर न्यूनतम राशि जमा नहीं होगी तो अकाउंट बंद हो सकते हैं। अगर चालू वित्तीय वर्ष में इन एकाउंट में न्यूनतम राशि नहीं है तो 31 मार्च तक कुछ रकम जमा करा दें। अगर न्यूनतम जरूरी रकम नहीं डाली, तो इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। यह रकम 50 रुपए से 10 हजार तक हो सकती है।

नेशनल लोक अदालत के लिए जिले में 36 खण्डपीठ गठित

रतलाम। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को जिले न्यायालय रतलाम, तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना एवं आलोट में प्रातः 10.30 बजे से किया जाएगा। जिले में नेशनल लोक अदालत का कार्य सम्पादित करने हेतु 36 खण्डपीठों का गठन किया गया है। खण्डपीठ गठन में प्रधान न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश तथा अधिवक्ता शामिल किए गए हैं।

30 नवंबर

न्यूज गलरी

15 लोगों से वसूला जुर्माना

रतलाम। नगर निगम द्वारा शहर में गंदगी फैलाने, अतिक्रमण और अमानक पालिखीन का उपयोग करने वाली के खिलाफ अभियान चलाकर जुर्माना वसूला जा रहा है। इसके तहत किजय, संजय प्रजापत, संतोश, बंशी, धनराम, भरत, अजमल, पिटू, सविन, सहनाज से 500-500 रुपये, एकज, रानु, नरेन्द्र व राकेश कुशवाह से 100-100 रुपये का जुर्माना वसूला गया। स्पॉट फाइन दल ने सभी को भविष्य में गंदगी, अतिक्रमण व अमानक पालिखीन का उपयोग व विक्रय नहीं करने की समझाव दी।

31 मार्च तक सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम। शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण-2022 में नंबर वन बनाने में व्यापारियों की सहभागिता के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने निगम अधिवक्ता सोमनाथ झारिया के साथ व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक ली। इसमें उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण को दृष्टिगत रखते हुए अमानक पालिखीन व डिस्पोजल शिकेताओं को अपनी दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए।

काली मिर्च, मिठाई के लिए सैपल

रतलाम। जिले में खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सैपलिंग की कार्यवाही लगातार की जा रही है। शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश जमरा, प्रीति मंडोरिया, ज्योति बघेल ने सज्जन मिल रोड स्थित फायदा बाजार से काली मिर्च व अलसी के सैपल लिए। इसी तरह जावरा में हुसैन टंकरी से माहेश्वरी भोजनालय से मिठाई व सोयाबीन तेल, फैजान होटल आलू-पालक सब्जी के सैपल लिए गए। सैपल जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। होटल व भोजनालय में सफाई-सफाई रखने के निर्देश दिए गए।

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई

प्रस्ताव न्यूज * रतलाम 11-3-22

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सांसद गुमानसिंह झमोर की अध्यक्षता में 10 मार्च को संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत प्रधान परमेश मईछ, राजेंद्रसिंह लुनेरा, श्याम सुंदर शर्मा, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, श्रीमती संगीता चारेल, पूर्व महापौर शैलेंद्र झांग, प्रदीप चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी, सीएसपी हेमंत चौहान आदि उपस्थित थे। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा एजेंडे पर जानकारी दी गई।

बैठक में सड़कों तथा हाईवे पर ब्लैक स्पाट की चर्चा करते हुए सांसद गुमानसिंह झमोर द्वारा लोक निर्माण विभाग, एनएचआई को निर्देशित किया गया कि सघन सर्वे करते हुए ब्लैक स्पाट चिन्हित करके निराकरण किया जाए, ताकि दुर्घटना से जीवन सुरक्षित रहे। बैठक में बताया गया कि शहर में यातायात सिग्नल दो बत्ती तथा सैलाना बस स्टैंड पर है, किंतु वर्तमान में खराब है।

दोनों को सुधारने की आवश्यकता है एवं अन्य व्यस्त ही स्थानों पर सिग्नल लगाए जाने की भी आवश्यकता बताई गई। शहर में थाना माणक चौक, दीनदयाल नगर क्षेत्रों में विशेष तौर पर अतिक्रमण किया जाकर दुकानदारों द्वारा आगे बढ़कर पार्किंग क्षेत्र में सामान फैलाया गया है तथा दुकानदारों द्वारा अपने दोपहिया, चार पहिया वाहनों को स्थाई रूप से दुकानों के सामने पार्किंग क्षेत्र में लगाया गया है, इससे आवागमन में परेशानी है तथा जाम की स्थिति बनती है।

शहर में लोगों द्वारा सब्जियों का विक्रय रोड किनारे बैठकर किया जा रहा है, जिससे आवाजाही में परेशानी होती है। सब्जी मार्केट के लिए पृथक से स्थलों का चयन कर सब्जी मार्केट के रूप में विकसित किया जाना उचित होगा। इसके अलावा यातायात संकेतक बोर्ड की कमी बताई गई। संकेतक बोर्ड लग जाने से लोगों को शहर में स्थानों को खोजने में सुविधा होगी, यातायात कम बाधित होगा। शहर के मुख्य चौराहों पर हाईमास्ट लाइट लगाई जाएगी। मुख्य सड़कों पर स्थाई डिवाइडर की आवश्यकता बताई गई।

प्रस्ताव 12/3/22



100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

शहर के नाहरपुरा में सागर डिस्पोजल को किया सील

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क 12-3-22

रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टीक, प्लास्टिक झण्डे, कैन्डी स्टीक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाले धर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, ग्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, टेऊ, स्वीट बाक्स, निर्माण पत्र, सिगरेट पैकेट को कचूर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिर्स व 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी के बैनर) के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रयासक कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः

10 किलो अमानक पॉलीथिन प्रतिबंधित किया व डिस्पोजल जब्त किया गया है। अभियान के तहत नाहरपुरा

क्षेत्र में सागर डिस्पोजल से 10 किलो अमानक पॉलीथीन व डिस्पोजल जब्त कर दुकान को सील किया गया। रतलाम नगर के समस्त प्लास्टिक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एवं ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ और सुन्दर बनाएं।

राज न्यूज नेटवर्क 12/3/22

दिशा की बैठक में सांसद श्री डामोर ने दिए निर्देश

गौशालाओं में बिजली, पानी की नियोजित ढंग से व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए

सिद्धम रिपोर्टर □ रतलाम

जिले की गौशालाओं में बिजली, पानी इत्यादि की नियोजित ढंग से व्यवस्थाएं रहें। गोवंश को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। यह निर्देश सांसद शुभानसिंह डामोर ने गुरुवार को आयोजित दिशा समिति की बैठक में दिए। सांसद की अध्यक्षता में आयोजित उक्त बैठक में श्यामसुंदर शर्मा, राजेंद्र सिंह लुनेरा, पूर्व विधायक श्रीमती संगीता चोरेल, जिला पंचायत प्रधान परमेश मईछ, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक अभियेक तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, प्रदीप चौधरी, सभी सदस्यगण तथा अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में सदस्य के ध्यानवर्षण पर सांसद द्वारा निर्देशित किया गया कि बांगरोद गौशाला में इलेक्ट्रिकेशन की समुचित व्यवस्था हेतु विद्युत विभाग स्टीमेंट बनाकर कार्य करें। साथ ही सांसद ने रतलाम औद्योगिक क्षेत्र में कोई भी बिजली की समस्या नहीं आए, यह सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा नमकीन क्लस्टर करमदी में बिजली, पानी की



समस्या के निराकरण हेतु नगर निगम तथा विद्युत वितरण कंपनी को निर्देशित किया।

लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया गया की समस्त सड़कों का निर्माण समय सीमा में पूर्ण किया जावे। जिला पंचायत प्रधान परमेश मईछ द्वारा विरमावल-सातरुख सड़क को टूटने करने के लिए भी चर्चा की गई। राजेंद्रसिंह लुनेरा ने कहा कि रतलाम-धानासुता मार्ग में कई कमियां हैं जिससे एक्सीडेंट का खतरा है। इसके अलावा अन्य सड़कों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया। सांसद ने निर्देशित किया कि लोक निर्माण विभाग के साथ अन्य विभाग मिलकर एक्सीडेंटल स्थानों का सर्वे करते हुए आवश्यक कार्रवाई करें ताकि दुर्घटना से

बचाव हो सके। जो जगह निर्माण से छुटी है उनको पूरा किया जाए, जो सड़कें खराब हैं उनको सुधारा जाए।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जल जीवन मिशन पर भी चर्चा की गई। श्रीमती संगीता चोरेल, बसंत कटारा इत्यादि ने जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न ग्रामों में दिखाई दे रही अनियमितताओं तथा कार्यों में गड़बड़ी की ओर ध्यान आकर्षित किया। कार्यपालन यंत्री पी.के. गोपादे को सांसद श्री डामोर द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्यक्रम है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, कोई बदनामी नहीं हो सुनिश्चित करें अन्यथा कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की

जाएगी।

राजेंद्रसिंह लुनेरा द्वारा जल संसाधन विभाग से बंबोरी तालाब की जानकारी ली गई, बसंत कटारा ने पुनियाखेड़ी तालाब निर्माण की जानकारी चाही। बताया गया कि पुनियाखेड़ी तालाब के टैंडर इसी माह जारी हो रहे हैं। राजेंद्र सिंह लुनेरा ने रतलाम-धानासुता मार्ग पर पुलिया निर्माण की जानकारी प्राप्त की। बताया गया कि आगामी जून माह तक सेतु निर्माण विभाग द्वारा पुलिया निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा।

बीएसएनएल की भी समीक्षा की गई। सांसद ने निर्देश दिए कि रतलाम जिले के उन ग्रामों में विशेष रूप से ध्यान दिया जाए जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन में समस्या आ रही है। नेट प्रॉब्लम होने से कार्य नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने सरवन तथा अन्य ग्रामों की जानकारी देते हुए बीएसएनएल अधिकारी को निर्देशित किया। सांसद ने बीएसएनएल अधिकारी को निर्देशित किया कि केबल कटिंग रोकने के लिए उनके अधीनस्थ अधिकारी एसडीएम, तहसीलदार, जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के सतत संपर्क में रहें।

11-3-22

सिद्धम - 11/3/22

तरणताल खोलने में जुटा नगर निगम

रतलाम। राजीव गांधी सिविक सेन्टर स्थित तरणताल को नगर निगम जल्द ही आम लोगों के उपयोग के लिए खोल देगा। निगम के अमले ने तरणताल खोलने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्री काश्यप से इस संबंध में क्रीड़ा भारती एवं जिला तैराकी संघ के प्रतिनिधि मण्डल ने पहल करने का आग्रह किया था।

श्री काश्यप ने नगर निगम को क्रीड़ा भारती एवं जिला तैराकी संघ के आग्रह पर तत्काल तरणताल खोलने के निर्देश दिए थे। नगर निगम ने इस पर तरणताल की सफाई एवं जल संग्रहण की कार्यवाही आरंभ की। तरणताल खोलने की कार्यवाही शुरू होने पर क्रीड़ा भारती एवं जिला तैराकी संघ ने हर्ष जताया है एवं विधायक श्री काश्यप को धन्यवाद देते हुए कहा कि तरणताल खुलने से शहर के खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शामिल होने से पूर्व तैयारी करने का अवसर प्राप्त होगा। श्री काश्यप से मिलने वाले प्रतिनिधि मण्डल में क्रीड़ा भारती सचिव एवं जिला तैराकी संघ अध्यक्ष अनुज शर्मा, जिला तैराकी संघ सचिव एवं प्रशिक्षक राजा भैया, हुसैन इंदोरी एवं रवि पंवार शामिल थे।



तरणताल को शुरू कराने कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा पत्र

रतलाम। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने कलेक्टर एवं निगमायुक्त को पत्र लिखकर मांग की है कि शहर का एकमात्र तरणताल जो कि नगर निगम द्वारा संचालित है विगत काफी समय से बंद पड़ा है। गर्मियों को देखते हुए उसकी साफ-सफाई कइ पुनः शुरू किया जाए। श्री कटारिया ने मांग की है के वर्तमान समय में सभी स्थितियां लगभग सामान्य हो चुकी हैं, ऐसी अवस्था में शहर के नागरिकों को यह सहुलियत मिलना चाहिए। निगम शीघ्र कदम उठाकर प्रारंभ करें।

नवम्बर 12/3/22

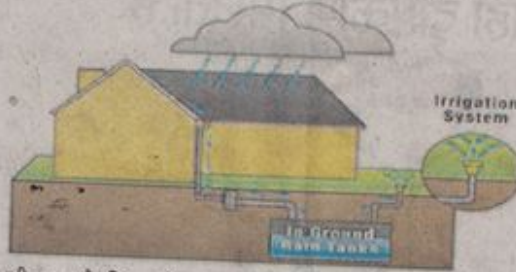
रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने को लेकर लोगों में अब भी जागरूकता का है अभाव

नहीं जागे तो पाताल में चला जाएगा पानी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम। गर्मियों के मौसम में हर साल लोगों को पानी की परेशानी का सामना करना पड़ता है। पानी की इस परेशानी के शिकार वह लोग भी होते हैं जिनके घरों में सिर्फ बोरिंग है। गर्मी के दिनों में जलस्तर के नीचे चले जाने से यह भी साथ छोड़ देते हैं, ऐसे में उक्त परिवारों को निजी टैंकरों के माध्यम से पानी की पूर्ति करना पड़ती है या फिर आस-पास के लोगों से पानी लेकर काम चलाना पड़ता है। रतलाम जिले भर में हर साल ऐसी बोरिंग हो रहे हैं जिनके माध्यम से लोग भूमिगत जल का दोहन तो कर रहे हैं लेकिन उसे रिचार्ज करने की कोई व्यवस्था नहीं करते हैं जिसका खामियाजा गर्मियों के मौसम में उन्हें भुगतना पड़ता है।

किसी भी प्रकार के 1500 वर्ग फीट या उससे अधिक के भवन निर्माण की अनुमति के दौरान नगर निगम 7 हजार रुपये से लेकर भवन



की साइज के हिसाब से रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए राशि वसूलती है। यदि भवन स्वामी स्वयं अपने घर में यह लगा लेता है तो उसे उससे जुड़े दस्तावेज पेश करने होते हैं, उसके बाद निगम अमला सत्यापन करता है, जिसके बाद यदि मौके पर सिस्टम लगा पाया जाता है तो उक्त राशि लौटा दी जाती है, नहीं तो फिर निगम को लोगों के घरों में यह सिस्टम लगाना होता है।

नगर निगम सीमा में बीते तीन वर्षों में निगम से अनुमति लेने वाले चार सौ से ज्यादा लोगों से निगम ने

करीब 34 लाख रुपये वसूले थे। उक्त राशि के आधार पर उक्त घरों में सिस्टम लगवाना भी था जिसके लिए निगम ने निविदा निकाली थी लेकिन यह काम कोरोना संक्रमण के दौर में यह काम फिर से टल गया। हालांकि बीते दो वर्षों पर्याप्त मात्रा में बारिश होने से लोगों बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा।

78 लाख से अधिक की थी निविदा

नगर निगम ने इसके पूर्व वर्ष

2019 में भी निविदा निकालकर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने की प्रक्रिया की थी लेकिन ठेकेदार द्वारा कागजी कार्रवाई पूरी नहीं करने के चलते यह काम रुक गया था। दूसरी बार की निविदा निकालने में निगम को पूरा साल बीत गया और मानसून के पहले 78 लाख 56 हजार रुपये की लागत का ठेका निकालने की तैयारी पूरी की थी।

कितने क्षेत्रफल पर लगती है राशि

140 से 200 वर्ग मीटर

7000

201 से 300 वर्ग मीटर

10000

301 से 400 वर्ग मीटर

12000

401 और इससे ज्यादा वर्ग मीटर

12-3-22 पर

15000

पत्रिका 12/3/22

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई

रतलाम। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सांसद गुमानसिंह डामोर की अध्यक्षता में 10 मार्च को संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत प्रधान परमेश मईड, राजेंद्रसिंह लुनेरा, श्याम सुंदर शर्मा, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी अभियेक तिवारी, अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, श्रीमती संगीता चारेल, पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, प्रदीप चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी, सीएसपी हेमंत चौहान आदि उपस्थित थे। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा एजेंडे पर जानकारी दी गई।

बैठक में सड़कों तथा हाईवे पर ब्लैक स्पाट की चर्चा करते हुए सांसद गुमानसिंह डामोर द्वारा लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई को निर्देशित किया गया कि सड़क सर्वे

करते हुए ब्लैक स्पाट चिन्हित करके निराकरण किया जाए ताकि दुर्घटना से जीवन सुरक्षित रहे। बैठक में बताया गया कि शहर में यातायात सिग्नल दो बत्ती तथा सैलाना बस स्टैंड पर है किंतु वर्तमान में खराब हैं। दोनों को सुधारने की आवश्यकता है एवं अन्य व्यस्त ही स्थानों पर सिग्नल लगाए जाने की भी आवश्यकता बताई गई। शहर में धाना माणकचौक, दीनदयाल नगर क्षेत्रों में विशेष तौर पर अतिक्रमण किया जाकर दुकानदारों द्वारा आगे बढ़कर पार्किंग क्षेत्र में सामान फैलाया गया है तथा दुकानदारों द्वारा अपने दोपहिया, चार पहिया वाहनों को स्थाई रूप से दुकानों के सामने पार्किंग क्षेत्र में लगाया गया है, इससे आवागमन में परेशानी है तथा जाम की स्थिति बनती है। शहर में लोगों द्वारा सब्जियों का विक्रय रोड किनारे

बैठकर किया जा रहा है जिससे आवाजाही में परेशानी होती है। सब्जी मार्केट के लिए पृथक से स्थलों का चयन कर सब्जी मार्केट के रूप में विकसित किया जाना उचित होगा। इसके अलावा यातायात संकेतक बोर्ड की कमी बताई गई। संकेतक बोर्ड लग जाने से लोगों को शहर में स्थानों को खोजने में सुविधा होगी, यातायात कम बाधित होगा। शहर के मुख्य चौराहों पर हाईमास्ट लाइट लगाई जाएगी। मुख्य सड़कों पर स्थाई डिवाइडर की आवश्यकता बताई गई। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश का समय निर्धारित करना, वाहन के लोडिंग अनलोडिंग स्थान तय करने, नो व्हीकल जोन तथा वन-वे आदि पर चर्चा की गई। सांसद श्री डामोर ने निर्देश दिए कि आगामी बैठक में विस्तृत रूप से बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।

संसदीय गतिविधियों के लिए लोकसभाध्यक्ष ने किया सम्मानित मंत्री भूपेंद्र सिंह को मिला उत्कृष्ट मंत्री का अवार्ड

सागर। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह को आज भोपाल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने १०० प्रतिशत रविशंकर शुक्ल स्मृति उत्कृष्ट मंत्री सम्मान -2021 से सम्मानित किया। जनोन्मुखी कार्यों व संसदीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसरोवर सभागार में आयोजित एक समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह और विधानसभा अध्यक्ष गिरीष गौतम की उपस्थिति में गरिमापूर्ण मंच से मंत्री भूपेंद्र सिंह को सम्मान पत्र और ट्रफी देकर सम्मानित किया।



आम आदमी पार्टी ने निकाला विजय जुलूस

गंज बासोदा। पंजाब में सरकार बनाने पर गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने दोपहर के समय विजय जुलूस रेलवे स्टेशन श्री हनुमान मंदिर से प्रारंभ किया जो नेहरु चौक, जय स्तंभ चौक होते हुए सावरकर चौक तक पैदल यात्रा कर जिला उपाध्यक्ष राजेन्द्र तिवारी एवं गंज बासोदा ग्यारसपुर विधानसभा प्रभारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व दोल धमाकों के साथ रैली का आयोजन किया गया। जिसमें आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता मौजूद थे।

नेशनल लोक अदालत कल

गंज बासोदा। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को सुबह के समय न्यायालय परिसर में आयोजन किया जा रहा है। उक्त दिनांक को आयोजित नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विधुत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, के अंतर्गत चेक बाउन्स प्रकरण, नगरपालिका, श्रम विभाग, बैंक विधुत विभाग आदि से संबंधित लॉबि एव प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

इस अवसर पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे सरकार और पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी मिली है, उसे पवित्रभाव से निभाने की कोशिश मैंने की है। कोई भी कार्य यदि पवित्र भाव से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। कोई भी सम्मान मिलने के बाद

जिम्मेदारी और भी बड़ी जाती है। साथ ही इससे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उल्लेखनीय है कि दीर्घ संसदीय अनुभव के धनी, 1993 में पहली बार विधायक निर्वाचित मंत्री भूपेंद्र सिंह 2018 में चौथी बार विधायक बने और 2009 में लोकसभा सदस्य भी निर्वाचित हो चुके हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह को उत्कृष्ट मंत्री सम्मान मिलने की खबर मिलते ही खुरद

विधानसभा क्षेत्र में हर्ष की लहर दौड़ गई। खुरद, ब्रांदरी, मालथोन और बरोदिया में आम जनता, समर्थकों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिछन वितरण कर खुशी मनाई। उल्लेखनीय है कि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपनी कुशल और संवेदनशील कार्यप्रणाली से एक सक्षम मंत्री और लोकप्रिय नेता के रूप में लोगों के दिलों में स्थान बनाया है।

समय जगत

12-3-22

समय जगत 12/3/22